रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम०/14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यपाल द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 28 जनवरी, 1986/8 माघ, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जनवरी, 1986

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 19/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन तारीख 27 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1985 (1985 का विधेयक संख्या 15) की वर्ष 1986 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
कुलदीप चन्द सूद,
सचिव (विधि)।

223-राजपत्र/86-28-1-86—1,204.

[मूल्य : 20 पैसे।

1986 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1985

(राष्ट्रपति द्वारा तारीख 27-1-1986 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) में संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह 1985 के अगस्त के तेईसवें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 15-क का अन्तः स्थापन ।

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 की विद्यमान धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित नवीन धारा 15-क, इसके शीर्षक सहित अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1983 का 17

"15-क. लोक आयुक्त को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान किया जाना.— (1) राज्यपाल, लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकेंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकरणों या अधिकारियों के ऊपर पर्यवेक्षणीय स्वरूप की शक्तियां प्रदान कर सकेंगे ।

(3) जब लोक आयुक्त को उप-धारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किए जाएं तो लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनका प्रयोग वह किसी अभिकथन से अन्तर्बलित परिवाद पर किए जाने वाले किसी अन्वेषण में करेंगे, और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है । 1985 का 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानों कि उस दिन, जिस दिन ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी, यह अधिनियम लागू हो चुका था ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 31 जनवरी, 1986/11 माघ, 1907

हिमाचल प्रदेश सरकार

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 29th November*, 1985

No. Udyog (Chh)5-9/83.—Agreement deed executed under section 39 of the Land Acquisition Act, 1894 between the Government of Himachal Pradesh and the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhawan, Dehradun is published as under for the information of the public.

Sd/-
Deputy Secretary.

AGREEMENT DEED

Memorandum of Agreement made this 30th day of September, 1985 between the Oil & Natural Gas Commission, a statutory body constituted under the Act of Parliament (Act 43 of 1959) and having its Headquarters at Dehradun (U. P.) (hereinafter called "the Commission") of the one part, the Governor of the State of Himachal Pradesh (hereinafter called "the Governor") of the other part.